रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 2019/भाद्र 30, 1941
No. 555] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 2019/BHADRA 30, 1941

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 680(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1937 (1934 का 22) की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप नियम पर विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हों तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजें या dgoffice@dgca.nic.in पर ई-मेल करें;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत यदि किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होता है, तो उन पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.........संशोधन) नियम, 2019 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची II में,-

   (क) अनुभाग (ङ) में, पैरा 1 में, खंड ड में-

(क) "जिसमें से 150 घंटों से अन्यून का उड़ान केकाल पूर्ववर्ती बारह मास में होगा" शब्दों का विलोप किया जाए;

(ख) उप खंड (i) में अंक "500" के लिए अंक "250" तथा अंक "200" के लिए अंक "100" प्रतिस्थापित होंगे;

(ग) उप-खंड (ii) में अंक "1000" के लिए अंक "500" प्रतिस्थापित होगा;

(घ) उप-खंड (iv) में अंक "100" के लिए अंक "75" प्रतिस्थापित होगा;

(ङ) उप-खंड (v) में अंक "10" के लिए "20" प्रतिस्थापित होगा;

(ख) अनुभाग (ड) में पैरा 1 में, खंड (ङ) में,-

(च) शब्द "जिसमें से 100 घंटो से अन्यून का उड़ान काल पूर्वगामी बारह मास में होगा" का विलोप किया जाए;

(क) धारा (ङ), के उप-खंड (v) में अंक "10" के लिए अंक "15" प्रतिस्थापित होगा।

[फा.सं. ए.वी.-11012/4/2018-ए]

अंशुमाली रस्तोगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. V-26 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 2 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 25 जून 2019 की सा.का.नि. सं. 468(अ) के द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2019

G.S.R. 680(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (……Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule II, —

(A) in Section M, in paragraph 1, in clause (e), —

(a) the words "of which not less than one hundred fifty hours flight time shall be in the preceding twelve months" shall be omitted;

(b) in sub-clause (i), for the words "five hundred", the words "two hundred and fifty" and for the words "two hundred", the words "one hundred" shall be substituted;

(c) in sub-clause (ii), for the words "one thousand", the words "five hundred" shall be substituted;

(d) in sub-clause (iv), for the words "one hundred", the words "seventy five" shall be substituted;

(e) in sub-clause (v), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted;

(B) in Section N, in paragraph 1, in clause (e), —

(a) the words "of which not less than one hundred hours shall be in the preceding twelve months" shall be omitted;

(b) in clause (e), in sub-clause (v), for the word "ten", the word "fifteen" shall be substituted.

[F. No. AV-11012/4/2018-A]

ANGSHUMALI RASTOGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 468(E), dated the 25th June, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 2nd July, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.